तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/9/18	[illegible] 27/6/13 की पालना में [illegible] 212 दिनांक 13/4/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
	13/4/18 [illegible] 27/6/18 की पालना में [illegible] 212 दिनांक 17/4/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
17/4/18	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने से रोका जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पंच. [illegible] निगरानी पर दिनांक 21/6/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
21/6/18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार [illegible] उपस्थित। बहस दर्ज सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष्यों के तर्क व सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा दिनांक 14.9.2001 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का नोटिस (Vacate) किया जाता है। पत्रावली निष्फल होकर संबंधित रेकर्ड ही रखा जाय। SDO

Scanned by CamScanner